

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	<div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">354</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">2025</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue; margin-top: 10px;">हरिनाथ / राजेश</div> <div style="font-weight: bold;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</div>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	---	--

17/12/2025

पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 344/2025, 354/2025, 1437/2025 एवं 1438/2025 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अतः अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो |

31/12/2025

आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/07/2024 पारित करते हुए तहसीलदार जालसू को ग्राम सिरसी पटवार हल्काराधाकिशनपुरा, भू.अ.क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जयपुर के खसरा नम्बर 179 रकबा 5.800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 5.4800 हैक्टेयर का विभाजन सभी पक्षकारान को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में एवं राज.टीनेंसी(बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू) नियम 18 से 21 की पालना गम्भीरता से करते हुए कब्जे काशत को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01/05/2025 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध क्रमशः अपील संख्या 344/2025 व 354/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध क्रमशः अपील संख्या 1437/2025 व 1438/2025 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की ईकजाई मौखिक बहस अपीलों पर सुनी गयी | चूँकि तीनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई रूप से बहस की गयी है | अतः इस एक ही निर्णय के माध्यम से तीनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावलीयां मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/07/2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01/05/2025 यथावत रखे जाते है एवं अपील संख्या क्रमश : 344/2025, 354/2025, 1437/2025 व 1438/2025 खारिज की जाती है </p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो </p> <p>निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया </p> 	